

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120001401994



उपस्थित- हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद सं०-1035 / 1994

सरकार बनाम कल्लू आदि

कथानक अभियुक्त नाम-

1-उदयभान सिंह उर्फ बच्चू सिंह पुत्र स्व० बीरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी पुरन्दरपुर, थाना बिहार जिला उन्नाव।

अ०सं०-261 / 1993

धारा-430 भा०दं०सं०

व 70 कैनाल एक्ट

थाना-बिहार, उन्नाव

प्रश्न संख्या 1- अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर- कुछ नहीं कहना।

प्रश्न संख्या -2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?

उत्तर- जी हाँ।

प्रश्न संख्या -3 आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला ?

उत्तर- क्यों कि मैंने अपराध किया था।

प्रश्न संख्या -4 क्या कुछ और कहना है ?

उत्तर- जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्त की परीक्षा मेरी उपस्थिति में की गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा किये गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांक:-03.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।

अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल करने का कथन किया गया। अभियुक्त को समझा दिया गया कि सजा हो सकती है। उनके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारा है। स्वेच्छया पूर्वक की गयी संस्वीकृत के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त को धारा 430 भा०दं०सं० व 70 कैनाल एक्ट में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामों निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में

लिया गया। उसे दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से दण्ड के बिन्दु पर कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब एवं वृद्ध व्यक्ति हैं। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हैं तथा उस पर उनके परिवार के पालन पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को प्रावधान के अनुसार अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

प्रकरण वर्ष 1994 से लम्बित है। अभियुक्त विगत कई वर्षों से पत्रावली पर अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्लू0 जारी किये जाने पर उसके परिवारीजन द्वारा न्यायालय के समक्ष लाया गया है, तदपश्चात् अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र दिया गया है। पत्रावली इस न्यायालय के एक्शन प्लान से सम्बन्धित है। उसे निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ बच्चू सिंह के द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को फौजदारी वाद सं0-1035/1994, अ0सं0-261/1993, थाना बिहार, जिला उन्नाव के प्रकरण में धारा 430 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु अभियुक्त को मु0 3,000/-रु0 (तीन हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा तथा धारा 70 कैनाल एक्ट के अपराध हेतु अभियुक्त को मु0 100/-रु0 (सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक-03.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 03.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।